न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 5/2022 (डूंगरपुर डिक्री)

मुर्तजा पिता सैफुद्दीन हमीदवाला बोहरा, नि0 गडाजसराजपुर (गलियाकोट), जिला डूंगरपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. कडाना पुनर्वास विभाग माही नहर, खण्ड माही परियोजना, बासंवाड़ा जरिये अधिशाषी अभियन्ता, पुर्नवास कॉलोनी, सागवांड़ा, जिला डूंगरपुर।
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
3. सिंचाई विभाग, सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी सागवाड़ा
दिनांक 13.04.2022 प्र.सं. 49/2017

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री पैरोकार सरकार

———::———

निर्णय **दिनांक 19–10–2023**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खसरा नंबर 5155 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा भूमि राजस्व रेकार्ड में इब्राहिम पिता मुसा मुसलमान के नाम दर्ज है। वादी ने इब्राहिम से दिनांक 19–07–1996 से उक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था, तब से वादी का कब्जा चला आ रहा है। वादी ने उक्त विक्रय पत्र के आधार पर उक्त भूमि अपने नाम कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रतिवादी संख्या 2 ने वादी के नाम दर्ज नामान्तरकरण संख्या 2214 दिनांक 30–09–1996 से वादी का कब्जा नहीं होना मानकर खारिज कर दिया, जिसकी अपील सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत कर दी गयी। प्रतिवादी संख्या [illegible] का वादी की उक्त जमीन पर नाजायज अतिक्रमण है। वादी की [illegible] है। उक्त जमीन की अवाप्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:58:10 IST
Reason: SelfAttested

की कार्यवाही नहीं की गयी है, न ही वादी को मुआवजा दिया गया है। ऐसी स्थिति में वादी प्रतिवादी संख्या 1 को बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः वादी को विवादित खसरा नंबर 5155 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 05–09–1996 से वादी का वाद स्वीकार किया गया, जिसकी अपील प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी के यहां प्रस्तुत किये जाने पर दिनांक 06–03–1999 को प्रतिवादी संख्या 1 की अपील खारिज की गयी। तत्पश्चात् वादी द्वारा इजराज प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर इजराज की पालना हेतु तहसीलदार को आदेश दिये गये, जिस पर तहसीलदार ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। दौरान कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 1 ने भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 06–03–1999 के विरूद्ध राजस्व मण्डल में अपील प्रस्तुत की, जो दिनांक 16–01–2014 को आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण पुनः सिंचाई विभाग को मूलवाद में सुनवाई का अवसर देकर निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया।

उक्त रिमाण्ड आदेश की पालना में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकियात कायम की गयी तथा तनकीवार विवेचन करते हुए दिनांक 13–04–2022 को वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 23–05–2022 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्टगण की ओर से राजकीय पैरोकार उपस्थित होकर बहस में भाग लिया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा बताया कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा विवादित भूमि कभी भी अवाप्त नहीं की गयी, न ही [illegible] का अवार्ड जारी हुआ है, न

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:58:10 IST
Reason: SelfAttested

ही धारा 4 व 6 के तहत अवाप्ति अधिनियम का कोई नोटिस जारी हुआ है। अधिनस्थ न्यायालय ने सभी तनकियों का गलत निर्णय पारित किया है। सिंचाई विभाग का कथित जमीन पर नाजायज कब्जा होना् पटवारी रिपोर्ट से भी स्पष्ट है। मामला रिमाण्ड होने पर संशोधित तनकी यह बनी कि आया कडाना विभाग ने मुआवजा देकर अवाप्त की जाकर सिंचाई विभाग को आवंटित की गयी। इस तनकी को साबित करने का भार सिंचाई विभाग पर था, जबकि यह तनकी प्रतिवादी के खिलाफ व बहस वादी पूर्ण रूप से सिद्ध है। वादग्रस्त भूमि वादी को बेचना प्रतिवादी ने स्वीकार किया है व नामान्तरकरण संख्या 2214 खोला जाना स्वीकार किया गया है, जिससे साबित है कि विवादित आराजी का मालिक काबिज वादी है एवं कडाना विभाग द्वारा भूमि कभी भी अवाप्त नहीं की गयी, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई गौर नहीं किया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए पैरोकार सरकार ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सभी तनकियों का विस्तृत विवेचन करते हुए अपीलान्ट/वादी का वाद खारिज किया गया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड व निर्णय का अवलोकन किया। अधिनस्थ ने तनकी नंबर 1 से 4 जिनको साबित कराने का भार वादी/अपीलान्ट पर था, विस्तृत विवेचन करते हुए वादी के विरूद्ध निर्णित की है तथा तनकी नंबर 5 जिसे साबित कराने का भार प्रतिवादी पर था बहक प्रतिवादी निर्णित की है। इसी प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो संशोधित तनकी बनायी गयी है, उस पर भी विस्तृत विवेचन करते हुए अपने निर्णय में यह माना है कि सिंचाई विभाग द्वारा वादग्रस्त आराजियात का नियमानुसार आवंटन नाथू व मूसा को किया जा चुका है तथा मुआवजा राशि की प्राप्ति रसीद पर उनके हस्ताक्षर हैं। सम्पूर्ण पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि विवादित आराजी पर न तो कभी वादी का कब्जा रहा है, न ही उनके पूर्व विक्रेता इब्राहिम का ही कब्जा था। कब्जे के अभाव के कारण ही वादी के पक्ष में स्वीकृत नामान्तरकरण को निरस्त किया गया है। ऐसी स्थिति में कब्जे का हस्तान्तरण ही नहीं हुआ है। जब कब्जा ही वादी का साबित नहीं हुआ है तो किसी प्रकार की घोषणा अथवा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:58:10 IST
Reason: SelfAttested

स्थायी निषेधाज्ञा का हकदार नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन करते हुए अपीलान्ट/वादी का वाद खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 13–04–2022 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 19–10–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:58:10 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.** .....

मुर्तजा पिता सैफुद्दीन हमीदवाला , बोहरा, निवासी गडाजसराजपुर (गलियाकोट), जिला डूंगरपुर बनाम **कडाना पुनर्वास विभाग, माही नहर, खण्ड माही परियोजना, बांसवाडा अधिशाषी अभियन्ता, पुनर्वास कॉलोनी, सागवाड़ा व अन्य**

अपील नं.....**05 / 2022**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**सागवाड़ा** ..... मुकाम.....मुवर्खे.....**.....13**.....माह.....**04**.....**2022**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**19**....माह.....**10**.....सन् **2023** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री संजय बोहरा**....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री पैरोकार सरकार**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 13–04–2022 यथावत रखी जाती है।** .

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**19**.....माह.....**10**.....**2023** को जारी किया गया ।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:58:10 IST
Reason: SelfAttested